न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 02/2021

RCMS No. : 2021/14

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
दिलीपसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		रमेश चन्द्र पुत्र श्री शिवप्रसाद (मालिक) मैसर्स माहेश्वरी किराणा स्टोर्स बस स्टेण्ड रास, तहसील जैतारण जिला पाली निवासी जसनगर मेडता सिटी नागौर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थिति :–
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित।
अप्रार्थी अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक - 11.05.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने नियत पूर्व में तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 06.01.2020 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स माहेश्वरी किराणा स्टोर्स बस स्टैण्ड रास, तहसील जैतारण पाली पर गये। जिस पर अप्रार्थी श्री रमेशचंद पुत्र शिवप्रसाद उपस्थित मिले, जिन्हे मैने अपना परिचय देते हुआ कहा की मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी हुं। मेनें विक्रेता एंव उपस्थित गवाहान की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया निरीक्षण करने पर पाया कि सुगन्धित सुपारी ब्राण्ड पंचरत्न के लगभग 20 मूल पैकेट वास्ते आम जन को बिक्री हेतु रखे हुये थें जिसनमें मिलावट का शक होने पर उपस्थित गवाहान के समक्ष प्रपत्र 5ए भरकर दिया प्रपत्र की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे उपस्थित गवाहान एंव विक्रेता के हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा मालिक एंव उपस्थित गवाहान के सामने सुगन्धित सुपारी ब्राण्ड पंचरत्न के 08 मूल पेकेट वास्ते जांच हेतु क्रय किये जिसकी कीमत विक्रेता को 480 रूपये नगर देकर रसीद प्राप्त की विक्रेता से वास्ते जाचं हेतु खरीदी गई सुगन्धित सुपारी ब्राण्ड पंचरत्न के पैकेट को उपस्थित गवाहन विक्रेता के सामने चार भागो में करके चार पैकेट तैयार किये एंव नियमानुसार तैयार लेबल लगा कर नमुना पैकेट को गोद से चिपकाया एंव प्रत्येक नमूना पैकेट पर डीओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड क्रमांक आर–1025 को नियमानुसार चिपकाया जिस पर स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी,गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवायें। विक्रेता द्वारा मौके पर नमुना खरीद का बिल होने से मना किया बाद में बिल प्रति पेश की गई जिस पर पत्र द्वारा जानकारी चाहने पर बताया गया कि इस बिल से उक्त प्रकरण से संबधित खाद्य पदार्थ की बिक्री

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

उन से द्वारा नही की गई है। मौके पर मौका फर्द तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाया एवं हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर उन्होनें स्वंय ने भी पढकर, सुनकर समझकर एंव सही मान हस्ताक्षर किये, स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये, जिसे स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवा कर रसीद प्राप्त की। डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्रांक एलएसएसए/2020/646–47 दिनांक 28.01.2020 के द्वारा जांच रिपोर्ट संख्या एल एस/05/एक्ट/2019/07 दिनांक 16.01.2020 के द्वारा विक्रेता की फर्म से लिया गया नमुना क्रमांक आर–1025 सुगन्धीत सुपारी ब्राण्ड पंचरत्न अनसेफ व मिथ्याछाप पाया गया जिसके संबध में विक्रेता द्वारा पुनः नमूने की जाचं हेतु अपील जिस पर नमुना पुनः जांच हेतु रेफरेल खाद्य प्रयोगशाला पुणे भिजवाया गया जिसकी रिपोर्ट क्रमांक आरएफएल/डीओ/218/20/519/2020 दिनांक 20.08.2020 एवं एफएलएसए /2020/9731 दिनांक 14.09.2020 के द्वारा मिथ्याछाप(Misbranded) होना पाया गया जिसकी सुचना विक्रेता को दी गई। इस प्रकार अप्रार्थी रमेश कुमार पुत्र श्री शिवप्रसाद मैसर्स माहेश्वरी किराणा स्टोर्स बस स्टेण्ड रास तहसील जैतारण जिला पाली द्वारा Misbranded का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने नियत तारीख पेशी पुर्व न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेरी दुकान से लिया गया सुगन्धित सुपारी ब्राण्ड पंचरत्न का उत्पादन मेरे द्वारा नही किया जाता है। बिक्री हेतु उक्त उत्पाद मेरी दुकान पर रखा हुआ था, जिसका बिल कही खो जाने से श्रीमान के समक्ष पेश करने मे असमर्थ हुं। खाद्य प्रयोगशाला पुणे की रिपोर्ट में मेरे द्वारा विक्रय के लिए रखा गया सुगन्धित सुपारी ब्राण्ड पंचरत्न मिथ्याछाप पाया गया है जो प्रिटिंग प्रेस की गलती से हुई है। चुंकि मैं उक्त दुकान का एकल स्वामित्वधारी हुं इसलिए इस गलती के लिए मैं इसकी जिम्मेदारी मेरे उपर लेते हुए व्यक्तिगत रूप से क्षमाप्रार्थी हुं। अतः मुझ अप्रार्थी पर न्युनतम जुर्माना आरोपित करने का श्रम करावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी के जवाब पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.01.2020 को अप्रार्थी की फर्म से सुगन्धित सुपारी ब्राण्ड पंचरत्न क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1025 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस. /05/एक्ट/2019/07 दिनांक 16.01.2020 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1025 को अनसेफ व मिथ्याछाप unsafe food section 3(1)(zz)(v) and 3(1)(zz)(vii) of food safety and standards 2006 due to presence of mineral oil and misbranded under section 3(1)(zf) (c)(i) of food safety and standards Act 2006 माना है। जिसे पुनः नमूना जांच हेतु रेफरेल खाद्य प्रयोगशाला पूणे भिजवाया गया जिसके अनुसार उक्त सुगन्धित सुपारी ब्राण्ड पंचरत्न Misbranded पाया गयी। जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ के लेवल पर Nutritional info Batch No, Mfg/pkd date- Not displayed on the pack of sample contravention of Regulation No 2.2.2(3),2.2.2(8)& 2.2.2(9) of food safety and standards (Packaging and Labelling) Regulation,2011 and further amendments Hence found to be

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

mis branded as per section 3(1)(zf)(c)(i) of food satety & standards Act 2006 का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2 (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Misbranded खाद्य वस्तु का विर्निमाण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 25000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 11.05.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली